C/PDCL

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)(छ.रा.वि.म.की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

(CIN : U40108CT2003SGC015822)

कार्यालय मुख्य अभियंता (मानव संसाधन)

फोन नं. 0771 – 2574925 , website: www.cspdcl.co.in

क्र. 02–11/समाधान योजना/1349 रायपुर, दिनांक 05 MAR 2026

आदेश

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 11.02.2026 के एजेण्डा क्रमांक 140/17 में पारित संकल्प के अनुसार कंपनी के निम्नदाब घरेलू, बी.पी.एल. एवं कृषि श्रेणी अशासकीय उपभोक्ताओं को बकाया राशि की मूल राशि एवं अधिभार की राशि में छूट प्रदान करने हेतु **समाधान योजना 2026** एतदद्वारा लागू की जाती है।

01. **समाधान योजना 2026** के अंतर्गत बी.पी.एल., अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय केवल कृषि श्रेणी उपभोक्ताओं को बकाया राशि में निम्नानुसार छूट दी जाती है:–

(अ) निष्क्रिय उपभोक्ताओं हेतु समाधान योजना 2026 – दिनांक 31.03.2023 के पूर्व निष्क्रिय उपभोक्ताओं के लिये मूल राशि एवं अधिभार में निम्नानुसार छूट दी जाती है:–

उपभोक्ता श्रेणी	योजना के तहत मूल राशि में छूट	योजना के तहत अधिभार राशि में छूट
बी.पी.एल.	75%	100%
घरेलू	50%	100%
कृषि (स्थायी एवं अस्थायी)	50%	100%

(ब) सक्रिय बी.पी.एल. उपभोक्ताओं हेतु समाधान योजना 2026 – दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में बी.पी.एल. उपभोक्ताओं के लिये बकाया मूल राशि एवं अधिभार में निम्नानुसार छूट दी जाती है:–

अवधि	योजना के तहत मूल राशि में छूट	योजना के तहत अधिभार राशि में छूट
5 वर्ष से अधिक	75%	100%
1 से 5 वर्ष	50%	100%

(स) समाधान योजना 2026 के तहत 31.03.2023 की स्थिति में सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय केवल कृषि उपभोक्ताओं की बकाया राशि के मूल राशि एवं अधिभार में निम्नानुसार छूट दी जाती है:–

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	भुगतान के विकल्प	मूल राशि	अधिभार
1	सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं कृषि	एकमुश्त	10%	100%
2		तीन किश्त	5%	100%
3		छः किश्त	0	100%

Scanned with OKEN Scanner

02. योजना की अवधि :- योजना दिनांक 30.06.2026 तक प्रभावशील रहेगी।

03. शेष बकाया राशि की किश्तों के भुगतान पर आगामी माहों में कोई अधिभार देय नहीं होगा।

04. योजना में छूट का लाभ लेने के लिए पात्र सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय केवल कृषि श्रेणी के उपभोक्ता को पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु बकाया राशि का 10 प्रतिशत न्यूनतम भुगतान करना अनिवार्य होगा।

05. इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को प्रेरित करने के एवज में मीटर वाचकों को निम्नानुसार विशेष प्रोत्साहन दिया जावेगा।

क्र.	भुगतान का प्रकार	प्रोत्साहन धनराशि
1	एकमुश्त पूर्ण भुगतान प्राप्त करने पर	एकमुश्त भुगतान प्राप्त होने पर प्राप्त धनराशि का 5% (अधिकतम ₹ 1000 प्रति कनेक्शन)
2	किश्तों में भुगतान प्राप्त करने पर	संपूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर प्राप्त धनराशि का 5% (अधिकतम ₹ 500 प्रति कनेक्शन)

06. संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित नियम एवं शर्तों के अनुरूप योजना की अवधि बढ़ाने हेतु प्रबंध निदेशक (वितरण) अधिकृत होंगे।

(राजेन्द्र प्रसाद)
मुख्य अभियंता (मानव संसाधन)
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. रायपुर

प्रतिलिपि :-

क्र. 02-11/समाधान योजना/ 1350 रायपुर, दिनांक 05 MAR 2026

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, छ.ग.शासन. नवा रायपुर, अटल नगर।
2. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (..), छ.ग.स्टेट.पा.डिस्ट्री.कं.लि., रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/जगदलपुर/बिलासपुर/रायगढ़/अंबिकापुर ।
3. कार्यपालक निदेशक (राजस्व) – समाधान योजना 2026 के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश यथा योजना में समिल्लित होने की पात्रता, पंजीकरण की प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया एवं मैदानी अधिकारियों के योजना के संबंध में कर्तव्य एवं दायित्व आदि पृथक से जारी किया जावे।
4. अधीक्षण अभियंता (वृत्त/शहर) छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,...................................
5. कार्यपालन अभियंता (संचा. एवं संधारण)/(नगर) संभाग छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,... ....

Scanned with OKEN Scanner

6. प्रबधंक (जनसंपर्क), कार्या. – मुख्य अभियंता (मा.सं.) छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर।
7. वरिष्ठ/क्षेत्रीय लेखाधिकारी छ.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,.................................
8. आदेश नस्ती।

(विकास श्रीवास्तव)
उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–एक
छ.स्टे.पा.डि.कं.लि. रायपुर

Scanned with OKEN Scanner